1

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

मुन्ना दास बनाम् प्रदीप यादव वगै०

विविध वाद संख्या –02 / 2023,

U/S – 147 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
C.C. Issued 23/5/24		

प्रथम पक्षः–

मुन्ना दास, पिता– चौवा दास, साकिन–नगलो, थाना–बिरनी, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. प्रदीप यादव, पिता– रोहन यादव,
2. सुजित यादव, पिता– रोहन यादव,
3. ईश्वर यादव, पिता– रोहन यादव,
4. सुखन यादव, पिता– टोकन महतो,
5. टिपन यादव, पिता – टोकन महतो,
6. रामप्रवेश यादव पिता – टोकन महतो,
7. जितेन्द्र यादव, पिता – सोमर यादव,
8. रामदेव यादव, पिता – स्व0 सुखन यादव
9. सोमर यादव, पिता – स्व0 नन्कु यादव,
10. चेतलाल महतो, पिता – स्व0 नन्कु यादव,
11. शिवशंकर महतो, पिता – चेतलाल महतो,

सभी साकिन– नगलो, थाना– बिरनी, जिला– गिरिडीह।

आदेश

आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, बिरनी के ज्ञापांक – 1100, दिनांक – 23.04.2024 के आधार पर, शुरु में निम्नलिखित भूमि पर, धारा 147 Cr.P.C के तहत् इस वाद को प्रारंभ किया गया।

अंचल	मौजा / थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	Cr.P.C 147 के तहत् रकबा	चौहद्दी
बिरनी	नगलो / 136	22	319	7 डी0 के मधे 3 डी0	7 डी0 के मधे 3 डी0	उ0–जगदीश महतो, द0– हाल रास्ता, पू0– कृपा महतो वगै0, पं0– जगदीश महतो

C.C. Issued 8/5/24

इस वाद को प्रारंभ कर उभय पक्षों को धारा 147 Cr.P.C के तहत नोटिस निर्गत किया गया।

30.03.2024

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात्, उभय पक्ष तथा उनके विद्वान अधिवक्ता विभिन्न तिथियों को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने-अपने दावे के समर्थन में अपना लिखित कथन तथा राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित आवेदन सहित निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किये गये –

1. लिखित आवेदन – कुल 03 पृष्ठ –**प्रदर्श 1A**
2. जीतन चमार के नाम से ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति (रसीद संख्या– 0582555808, दिनांक– 28.07.2020)– कुल 01 पृष्ठ – **प्रदर्श 1B**
3. खतियान की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ – **प्रदर्श 1C**
4. वाद संख्या – 06/2023, द0प्र0स0 की धारा 144 का अंतिम आदेश की छायाप्रति – कुल 12 पृष्ठ –**प्रदर्श 1D**

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित तीन गवाह प्रस्तुत किये गये –

प्रथम पक्ष का ग्वाह सं0 – 01 अर्जुन रविदास, पिता – बीरो रविदास, साकिन – नगलो की गवाही, शपथ संख्या – 51, दिनांक – 27.07.2023, तथा प्रतिपरीक्षण – **प्रदर्श 1E**

प्रथम पक्ष का ग्वाह सं0 – 02 बनवारी महतो, पिता – मेघु महतो, साकिन – नगलो की गवाही, शपथ संख्या – 102, दिनांक – 13.07.2023, तथा प्रतिपरीक्षण – **प्रदर्श 1F**

प्रथम पक्ष का ग्वाह सं0 – 03 विकास कुमार दास, पिता – गांगो दास, साकिन – नगलो की गवाही, शपथ संख्या – 150, दिनांक – 16.11.2023, तथा प्रतिपरीक्षण – **प्रदर्श 1G**

द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने लिखित कथन सहित निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किये गये –

1. लिखित आवेदन – कुल 03 पृष्ठ – **प्रदर्श 2A**

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित तीन गवाह प्रस्तुत किये गये –

द्वितीय पक्ष का ग्वाह सं0 – 01 बासुदेव महतो, पिता – स्व0 भैरो महतो, साकिन – नगलो की गवाही तथा प्रतिपरीक्षण – **प्रदर्श 2B**

द्वितीय पक्ष का ग्वाह सं0 – 02 राजेश यादव, पिता – श्री सोमर यादव, साकिन – नगलो की गवाही तथा प्रतिपरीक्षण – **प्रदर्श 2C**

द्वितीय पक्ष का ग्वाह सं0 – 03 शिवशंकर प्रसाद वर्मा, पिता – श्री चेतलाल महतो, साकिन – नगलो की गवाही तथा प्रतिपरीक्षण – **प्रदर्श 2D**

थाना बिरनी का प्रतिवेदन –

थाना बिरनी का ज्ञापांक 1100/2023, दिनांक – 23.04.2023 – प्रदर्श 3A

अंचल बिरनी का प्रतिवेदन –

अंचल बिरनी का पत्रांक – 414/बिरनी, दिनांक – 13.05.2023 – प्रदर्श 4A

30.03.2024

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्ष द्वारा दिये गये आवेदन/कारण–पृच्छा, राजस्व दस्तावेज, गवाहों की गवाही, थाना का प्रतिवेदन तथा अंचल का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि –

01. आवेदक के द्वारा दिये गये आवेदन (दिनांक 11.03.2023) तथा थाना प्रभारी का प्रतिवेदन ज्ञापांक – 1100/2023, दिनांक 23.04.2023 के आधार पर, अंचल – बिरनी, मौजा – नगलो, थाना नं0 – 136, खाता नं0 – 22, प्लॉट नं0 – 319, रकबा – 07 डी0 मधे 03 डी0 जमीन पर Cr.P.C धारा 147 के तहत् कार्रवाई प्रारम्भ की गई।

02. बाद में अंचल अधिकारी, बिरनी का प्रतिवेदन पत्रांक – 414, दिनांक – 13.05. 2023 तथा प्रथम पक्ष का मौखिक बयान एवं प्रथम पक्ष के गवाहों की गवाही से यह स्पष्ट हुआ कि उपर कंडिका 01 में वर्णित भूमि प्रथम पक्ष की केवाला से खरीदगी भूमि है तथा दाखिल खारिज होकर उनका रसीद कट रहा है, तथा उस पर उनका घर एवं बाउण्ड्री है; और यह प्रथम पक्ष के कब्जा में है; और इस जमीन पर विवाद नहीं है, **बल्कि इस खरीदगी भूमि से सटे निम्नलिखित गैरमजरुआ खास, परती कदीम भूमि पर रास्ता को लेकर विवाद है –**

अंचल	मौजा/ थाना	खाता	प्लॉट	Cr.P.C 147 के तहत् रकबा	किस्म	चौहद्दी
बिरनी	नगलो/ 136	28	320	9 डी0	गैरमजरुआ खास, परती कदीम	उ0–जितन चमार प्लॉट नं0 319, द0– रास्ता, पू0– सुखन यादव वगै0, प0– विद्यालय का चबूतरा

03. अतः स्पष्ट है कि विवादित भूमि/रास्ता का विवरण निम्न प्रकार है:–

अंचल	मौजा/ थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	Cr.P.C 147 के तहत् रकबा	किस्म	चौहद्दी
बिरनी	नगलो/ 136	28	320	9 डी0	गैरमजरुआ खास, परती कदीम	उ0–जितन चमार प्लॉट नं0 319, द0– रास्ता, पू0– सुखन यादव वगै0, प0– विद्यालय का चबूतरा

30.03.2024

04. अंचल के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि उक्त विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष के चेतलाल प्रसाद यादव और प्रदीप कुमार यादव के द्वारा निर्माण कार्य किये जाने से प्रथम पक्ष के घर का रास्ता अवरुद्ध हो गया है।

निष्कर्षतः उक्त भूमि से होकर आवेदक के घर का रास्ता जाता है जो कि द्वितीय पक्ष के द्वारा अवरुद्ध किया गया है।

अंचल के प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त विवादित रास्ता वाली भूमि का सादा हुकुमनामा दोनों पक्ष के द्वारा दिखाया गया, परन्तु किसी के भी नाम से इसकी जमाबंदी कायम नहीं हुई है, सरकारी लगान रसीद निर्गत नहीं है।

निष्कर्षतः उक्त भूमि की जमाबंदी किसी के भी नाम से नहीं है।

05. थाना का प्रतिवेदन पत्रांक – 1100/2023, दिनांक – 23.04.2023 में भी यह कहा गया है कि प्रथम पक्ष के द्वारा अपने रैयती जमीन पर घर बनाया गया है तथा गैरमजरुआ जमीन की तरफ निकसार रखा गया है, उक्त गैरमजरुआ जमीन पर द्वितीय पक्ष के द्वारा ईट एवं अलबेस्टर का कमरा बना दिया गया है जो प्रथम पक्ष के दरवाजा से बिल्कुल सटा हुआ है जिससे प्रथम पक्ष का रास्ता पूरी तरह से बन्द हो गया है।

थाना के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि प्रथम पक्ष के द्वारा अपने रैयती जमीन पर मकान बनाने के बाद — द्वितीय पक्ष के लोगों के द्वारा बलपूर्वक सटे हुये गैरमजरुआ भूमि पर ईट और एलबेस्टर का मकान बना दिया गया है।

पुनः निष्कर्षतः उक्त भूमि से होकर प्रथम पक्ष के घर का रास्ता जाता है जो कि द्वितीय पक्ष के द्वारा अवरुद्ध किया गया है।

06. प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक – 30.03.2024 को अनुमण्डल न्यायालय, बगोदर–सरिया का विविद वाद सं0 – 06/2023 द0प्र0स0 की धारा 144 का अंतिम आदेश समर्पित किया गया है, जो कि उक्त विवादित भूमि पर ही दोनों पक्षों के बीच चला था, उस अंतिम आदेश में भी यह कहा गया है कि उक्त विवादित भूमि का प्रथम पक्ष के द्वारा पहले से ही आने – जाने के लिए एकमात्र रास्ता के रूप में उपयोग किया जा रहा था, तथा प्रथम पक्ष के पक्ष में निषेधाज्ञा को वापस लिया गया था तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध संपुष्ट किया गया था।

पुनः निष्कर्षतः उक्त भूमि से होकर प्रथम पक्ष के घर का रास्ता जाता है जो कि द्वितीय पक्ष के द्वारा अवरुद्ध किया गया है।

07. प्रथम पक्ष के तीनों गवाहों के द्वारा कहा गया है कि उक्त विवादित भूमि से होकर आवेदक प्रथम पक्ष का रास्ता जाता है जिसे द्वितीय पक्ष के द्वारा अवरुद्ध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के तीनों गवाह का कहना है कि एक 08 – 10 फीट का दूसरा रास्ता प्रथम पक्ष को निकलने के लिये है परन्तु विवादित भूमि के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है।

थाना और अंचल का प्रतिवेदन प्रथम पक्ष के गवाह की बातों को समर्थन करता है।

30.03.2024

5

स्पष्ट है कि

(a) उक्त विवादित भूमि गैरमजरुआ खास परती कदीम है।

(b) उक्त भूमि की जमाबंदी दोनों में से किसी पक्ष के नाम से कायम नहीं है।

(c) उक्त भूमि, प्रथम पक्ष की खरीदगी भूमि पर बने मकान से, सटा हुआ है तथा उक्त भूमि से होकर प्रथम पक्ष का रास्ता जाता है, जो कि द्वितीय पक्ष के द्वारा वर्त्तमान में अवरुद्ध कर दिया गया है।

अतः Cr.P.C 147(3) के तहत द्वितीय पक्ष को यह आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि पर खड़ा किये गये अवरोध को 15 दिनों के अंदर हटायें।

15 दिनों के भीतर उक्त अवरोध को नहीं हटाने पर —– अंचल अधिकारी, बिरनी तथा थाना प्रभारी, बिरनी को आदेश दिया जाता है कि उक्त अवरोध को बलपूर्वक हटायें, तथा हटाने का खर्च भी द्वितीय पक्ष से वसूल करें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30.03.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

30.03.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

C.C. Issued 23/5/24

C.C. Issued 21/5/24

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 11:32:19 +05:30
Location: 192.168.1.3